न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

स्वरूप लाल पुत्र छुट्टन उम्र 60 साल जाति प्रजापत निवासी ग्राम वामनपुरा ग्राम पंचायत करसाई पंचायत समिति करौली तहसील व जिला करौली (राज.)– अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) करौली तहसील करौली जिला करौली राज.
2. मिश्रीबाई पुत्री छुट्टन उम्र 58 साल
3. प्रहलाद उम्र 45 साल
4. हरिलाल उम्र 40 साल
5. रूपबाई उम्र 41 साल
6. सुनीता उम्र 40 साल

पुत्र–पुत्रियान स्व. रामधन

7. रंगो बेवा रामधन उम्र 65 साल
8. कल्याणी पत्नि स्वरूप लाल उम्र 55 साल

समस्त जातियान प्रजापत निवासीयान ग्राम वामनपुरा ग्राम पंचायत करसाई पंचायत समिति करौली तहसील व जिला करौली (राज.) – प्रत्यर्थीगण

अपील व नाराजगी आदेश/निर्णय दिनांक 27.11.2010 बाबत् नामांतरकरण संख्या 884 ग्राम करसाई तहसील व जिला करौली तहसीलदार करौली द्वारा नामांतरकरण स्वीकार किया गया है, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट 1956

निर्णय

दिनांक 01.12.2020

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम करसाई तहसील व जिला करौली के नामांतरकरण संख्या 884 दिनांक 27.11.2010 में अपीलार्थी का नाम स्वरूप लाल के स्थान पर रामस्वरूप दर्ज होने के कारण उक्त नामांतरकरण में अपीलार्थी का नाम संशोधन करने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार करौली का निर्णय दिनांक 27.11.2010 नामांतरकरण संख्या 884 ग्राम करसाई तहसील व जिला करौली कानूनन रूहेदाद मिसल, पूर्णतया आरविट्रेरी, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध है जो निरस्त किये जाने योग्य है। जैर अपील नामांतरकरण दर्ज कराते समय पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट का नाम स्वरूपलाल के स्थान पर रामस्वरूप बिना किसी आधार, बिना किसी जांच पड़ताल के दर्ज करा दिया गया है। अपीलाण्ट का वास्तविक नाम स्वरूप लाल है। अपीलाण्ट का अन्य कागजात् व दस्तावेजात् जैसे आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक पासबुक आदि में सही व वास्वविक नाम स्वरूप लाल दर्ज है जिनकी फोटोप्रति संलग्न पेश की है। इसलिये न्याय हित में नामांतरकरण संख्या 884 ग्राम करसाई दिनांक 27.11.2020 में अपीलांट का नाम रामस्वरूप के स्थान पर स्वरूप लाल संशोधित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है जिससे अपीलाण्ट को न्याय प्राप्त हो सके। उक्त संशोधन से रेस्पोण्डेण्ट्स के हक व हिस्से व सेहत पर कोई विपरीत

जिला कलक्टर
करौली

प्रभाव नहीं पड़ता है। यह एक मानवीय भूल से हुई त्रुटि है जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को नामांतरकरण की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 20.02.2020 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर राजस्व अभिलेख में अपीलाण्ट का नाम रामस्वरूप दर्ज होने की जानकारी होने पर नकल नामांतरकरण दिनांक 24.02.2020 को कर नकल नामांतरकरण दिनांक 26.02.2020 को व जमाबंदी नकल प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व निर्णय दिनांक 27.11.2010 बाबत् नामांतरकरण संख्या 884 ग्राम करसाई की जानकारी नहीं रही है। दिनांक 27.11.2010 से 20.02.2020 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट के अभाव में कण्डोन किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। इस संबंध में अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न किया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थीगण संख्या 2 ता 8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये।

प्रत्यर्थी संख्या 1 ने पत्रांक–एल.आर./2020/3540 दिनांक 31.08.2020 से अवगत करवाया है कि पटवारी हल्का करसाई, भू–अभिलेख निरीक्षक मामचारी से जांच करवाने पर ग्रामवासियों द्वारा बताया कि छुट्टन लाल पुत्र लल्लू जाति कुम्हार के वारिसान रामधन, स्वरूप पिता छुट्टन, मिश्रीबाई पुत्री छुट्टन है। इनके अलावा इनका कोई वारिस नहीं है। स्वरूप द्वारा मौके पर ही आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं पहचान पत्र की प्रति पेश की। उनमें भी उसका नाम स्वरूप लाल है।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में अपीलार्थी का नाम स्वरूप लाल दर्ज ह। तहसीलदार करौली ने भी छुट्टन लाल पुत्र लल्लू जाति कुम्हार के वारिसान रामधन, स्वरूप पिता छुट्टन, मिश्रीबाई पुत्री छुट्टन होना बताया है। इनके अलावा किसी अन्य वारिस का नहीं होना बताया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का वास्तविक नाम स्वरूप लाल होना, नामांतरकरण संख्या 884 ग्राम करसाई तहसील व जिला करौली में अपीलार्थी का नाम रामस्वरूप गलत दर्ज होना विदित होता है जिसे संशोधित किया जाना न्यायोचित है।

अतः अपील, अपीलार्थी स्वीकार की जाकर तहसीलदार करौली द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 884 ग्राम करसाई, पटवार हल्का करसाई तहसील व जिला करौली में अंकित रामस्वरूप पुत्र छुट्टन लाल की हद तक निरस्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार करौली को निर्देशित किया जाता है कि नामांतरकरण संख्या 884 ग्राम करसाई से संबंधित खसरा नंबरान में अपीलार्थी का नाम रामस्वरूप पुत्र छुट्टन लाल के स्थान पर स्वरूप लाल पुत्र छुट्टन लाल दर्ज कर पुनः नामांतरकरण आदेश पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली